न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 138 / 2019

संतोष कुमार शर्मा (पुजारी) श्री सीतारामजी मन्दिर ट्रस्ट, नवलगढ
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 18.09.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.08.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 138 / 2019 पर दिनांक 21.08.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाहीं गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2019 / 1255–56 दिनांक 21.08.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक 508 दिनांक 18.09.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का प्रा0प0 दिनांक 18.07.2019 इस कार्यालय में अप्राप्त है। सूचना जिला कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का प्रा0प0 दिनांक 18.07.2019 उनके कार्यालय में अप्राप्त है। सूचना जिला कार्यालय से प्राप्त पत्र के आधार पर प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है।
7. अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
8. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू